इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2012—वैशाख 14, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-471-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुदेश कुमार, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग को दिनांक 16 से 20 अप्रैल 2012 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री सुदेश कुमार की अवकाश अवधि में श्री आई.एस. दाणी, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुदेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुदेश कुमार द्वारा प्रमुख सचिव सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी सार्वजनिक उपक्रम तथा आयुष विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुदेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुदेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-393-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री प्रसन्न कुमार दाश, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 17 से 26 अप्रैल 2012 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश की अवधि में श्री के. के. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 से 28 अप्रैल 2012 तक छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-138-2012-5-एक.—श्रीमती वीणा घाणेकर, भाप्रसे, (1993), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के दिनांक 7 अप्रैल 2012 से अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनके अवकाश अवधि में, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989), आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा आयुक्त, आदिवासी विकास को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह को दिनांक 2 अप्रैल 2012 से 180 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री छबि भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-561- आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री टी. धर्माराव, आयएएस., कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 द्वारा दिनांक 23 से 30 अप्रैल 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 21, 22 अप्रैल 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है, तथा उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, रीवा को प्रभार श्री एस. एन. रूपला, जिला कलेक्टर, रीवा को सौंपा गया है.

(2) उक्त आदेश दिनांक 22 मार्च 2012 के पद-2 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री टी. धर्माराव की उक्त अवकाश अवधि में कमिश्नर, रीवा का प्रभार श्री एस. एन. रूपला, जिला कलेक्टर, रीवा के स्थान पर अब श्री के. के. खरे, कलेक्टर, जिला सतना को सौंपा जाता है.

(3) श्री टी. धर्माराव द्वारा कमिश्नर, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. खरे, कमिश्नर, रीवा संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-406-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 17 से 19 अप्रैल 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. के. सामन्तरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. सामन्तरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-848-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 23 अप्रैल 2012 से 5 मई 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को दिनांक 21 फरवरी 2012 से 15 मार्च 2012 तक चौबीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. एफ-ए-5-5-2012-एक.—(1) राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरूण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	16-4-2012 से 4-5-2012 तक.	19 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल 2012 तक सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. एफ. 2-17-2011-एसएण्डटी-इकतालीस.—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सुचारू रूप से संचालन एवं इसे सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन, भोपाल में "प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय" स्थापित/गठित करता है.

(2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन के लिये गठित विभागाध्यक्ष कार्यालय (प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय) के विभागाध्यक्ष प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पदनाम से संबोधित किये जायेंगे. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त घोषित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त के पद पर पदस्थापना की व्यवस्था रहेगी.

(3) विद्यमान स्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय की व्यवस्था वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल में रहेगी.

(4) प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय के संचालन के लिये विद्यमान स्थिति में वित्तीय (बजट) व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के बजट से की जायेगी. आगामी वित्तीय वर्ष से प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को आवंटित मदों के अन्तर्गत उल्लेखित नवीन विभागाध्यक्ष कार्यालय को बजट आवंटन एवं राशि के आहरण-संवितरण की व्यवस्था की जावेगी.

(5) प्रशासनिक दक्षता एवं जनसामान्य की सेवाओं को सुगम बनाने के लिये प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय को प्रदत्त सामान्य अधिकारों के अनुसार समुचित अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं.

(6) प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त कार्यालय के लिये निम्नानुसार नवीन पद निर्मित किये जाते हैं :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान (4)
1	आयुक्त (भाप्रसे)	01	नियुक्ति अनुसार
2	अपर आयुक्त	01	37400-67000
3	प्रशासकीय अधिकारी	01	15500-39100
4	शीघ्रलेखक	01	9300-34800
5	लेखापाल	01	9300-34800
6	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200
7	दफ्तरी	01	कलेक्टर दर पर
8	भृत्य	01	कलेक्टर दर पर
	कुल . .	08 पद	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खेरवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2012

क्र. एफ. 2-17-2011-एसएण्डटी-इकतालीस.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 2-17-2011-एसएण्डटी-इकतालीस, दिनांक 3 मार्च 2012 के द्वारा आयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय का गठन करते हुए बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर भाग-1, खण्ड-1 के सरल क्रमांक-1 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए, आयुक्त एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उपसचिव को अपर आयुक्त व बजट नियंत्रक अधिकारी तथा कार्यालय उप प्रमुख नियुक्त किया जाता है.

(2) उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यालय आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश के लिये अपर आयुक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रा धुर्वे, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 1 (ए) 400-88-ब-2-दो.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मार्च 2012 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 9 से 22 मार्च 2012 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार ''अण्डमान निकोबार'' अवकाश यात्रा पर जाने की दी गई अनुमति एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल को दिनांक 23 अप्रैल 2012 से 7 मई 2012 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत सपरिवार ''लेह लद्दाख'' अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री पुरुषोत्तम शर्मा—स्वयं
2. श्रीमती प्रिया शर्मा—पत्नी
3. कु. देवांशी गौतम—पुत्री
4. श्री पार्थ गौतम—पुत्र

(3) उक्त यात्रा हेतु श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(4) उक्त अवकाश अवधि में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल का कार्य उप पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(5) अवकाश से लौटने पर श्री पुरुषोत्तम शर्मा भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत) पु. मु., भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(6) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (4) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(7) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(8) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2012

फा. क्र. 17 (ई) 24-2011-इक्कीस-ब-(एक)3192-11-1383-12.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 24-2011-इक्कीस-ब-(एक)3192-11, दिनांक 13 सितम्बर, 2011 को अतिष्ठित करते हुये, राज्य शासन, म. प्र. उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, श्रीमती सईदा बानो रहमान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं विद्युत् अधिनियम, 2003 के अधीन, विशेष न्यायालय, भोपाल की न्यायाधीश, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.

F. No. 17(E) 24-2011-XXI-B-1-3192-11-1283-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in supersession of this department's notification F. No.17(E) 24-2011-XXI-B-1-3192-11, dated 13th September 2011, the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Smt. Sayeeda Bano Rehman, Additional Sessions Judge and Judge of the Special Court, Bhopal under the Electricity Act, 2003 as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the Prevention of Corruption Act, 1988.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(बी)13-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कैलाश दांगी पुत्र श्री कनीरामजी दांगी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शाजापुर सत्र खण्ड के शाजापुर राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, सुसनेर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री कैलाश दांगी की जन्म तिथि 7-6-1975 सात जून उन्नीस सौ पचहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 7 जून 2037 सात जून दो हजार सैंतीस को पूर्ण होगी.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(बी)32-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजाराम सिंह सोलंकी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, बेगमगंज नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी की जन्म तिथि 1 जुलाई 1959 एक जुलाई उन्नीस सौ उनसठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 1 जुलाई 2021 एक जुलाई दो हजार इक्कीस को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)32-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री के. जी. माहेश्वरी, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री चन्द्र कुमार माहेश्वरी की जन्म तिथि 15 अक्टूबर 1953 पन्द्रह अक्टूबर उन्नीस सौ त्रिपन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 15 अक्टूबर 2015 पन्द्रह अक्टूबर दो हजार पन्द्रह को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)32-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कैलाश नारायण सक्सेना पुत्र श्री ओमप्रकाश जी सक्सेना, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री कैलाश नारायण सक्सेना की जन्म तिथि 21 फरवरी 1954 इक्कीस फरवरी उन्नीस सौ चउअन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 21 फरवरी 2016 इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(बी)32-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये रायसेन सत्र खण्ड के रायसेन राजस्व जिले के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायसेन नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री विमल कुमार जैन की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1952 सताईस अप्रैल उन्नीस सौ बावन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27 अप्रैल 2014 सत्ताईस अप्रैल दो हजार चौदह को पूर्ण होगी.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2012

फा. क्र. 1(सी) 27-2006-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—(1) राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

(2) उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी, बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

(3) नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)/एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24-4-2008 के अनुरूप देय होंगे.

(4) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225 (5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां -003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

(5) देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 3344-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (डी) (i) ii) के तहत श्री मनु श्रीवास्तव (भाप्रसे-1991) का प्रबंध संचालक के पद पर चयन किये जाने के फलस्वरूप एवं सामान्य प्रशासन विभाग, म. प्र. शासन के आदेश क्रमांक ई-1-125-2012-5-एक, दिनांक 24 अप्रैल, 2012 के अनुसरण में श्री मनु श्रीवास्तव को प्रबंध संचालक, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि., जबलपुर के पद पर आदेश जारी किये जाने की तिथि से 3 वर्षों अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि में से, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्र. एफ. 2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 2,44,50,000/- (रुपये दो करोड़ चवालिस लाख पचास हजार) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

(रुपये लाख में)

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	क्र. एफ 2-4/2002/ई/चार, दिनांक 21-2-2003.	8%	ऋण पत्र	21-3-2012	244. 50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 16 मार्च 2012

क्र. क-2997-न्या. लि.-2-12.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

1. नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करता हूँ.

2. सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को उक्त सारणी के कालम (3) में वर्णित पुलिस थाने में सम्मिलित करता हूँ.

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया	ग्रामों के नाम	पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना हैं थाना-पदमाकर नगर
(1)	(2)	(3)
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.	ग्राम पंचायत, रजाखेड़ी	1. आनंद नगर, 2. पदमाकरनगर, 3. आर्मी छावनी, 4. छावनी क्षेत्र, 5. दूरसंचार नगर कालोनी, 6. सिंधी कालोनी, 7. अजवानी बिल्डर्स अपार्टमेन्ट, 8. राजनगर, 9. शंकरगढ, 10. अभिनंदन नगर, 11. मकरोनिया चौराहा अवंति मार्केट, 12. आदर्शनगर, 13. गोविन्द नगर, 14. अंकुर कालोनी, 15. शांतिपुरम, 16. शांति बिहार, 17. विजय नगर, 18. शिवराम काम्पलेक्स, 19 कोरेगांव, 20. दुर्गानगर, 21. कैलाश अपार्टमेन्ट.
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.	मकरोनिया ग्राम पंचायत पंचायत के अन्तर्गत कालोनी.	22. पुरानी मकरोनिया, 23. नई मकरोनियां, 24. मोहन नगर, 25. एम. पी. ई. बी. कालोनी, 26. 72 क्वाटर्स कालोनी, 27. 10 बटा केम्प कालोनी, पी. टी. एस. क्षेत्र, 28. न्यू स्टेट कालोनी, 29. स्टेट बैंक कालोनी, 30. शक्ति नगर, 31. शिवाश्रय कालोनी, 32. नेहानगर, 33. गीताजली अपार्टमेन्ट, 34. शिवालय कालोनी, 35. सद्भावना नगर, 36. शिवस्थली नगर, 37. गायत्री नगर, 38. शिवनगर, 39. ज्योति नगर, 40. श्रीनगर, 41. शांति रेसीडेन्स, 42. संजय नगर, 43. मानस नगर, 44. विघापुरम्, 45. आर्मी कालोनी डब एरिया.
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.	ग्राम पंचायत, बड़तुमा	46. ग्राम बड़तुमा, 47. नई कालोनी बड़तुमा, 48. सागर स्टेट कालोनी क्र. 1, 49. सागर स्टेट कालोनी क्र. 2.
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.	ग्राम पंचायत, गंभीरिया.	50. केन्द्रीय विश्वविद्यालय कालोनी, 51. 600 प्लाट कालोनी, 52. डॉ. हरिसिंह गौर नगर कालोनी, 53. एच. आई. जी./एमआईजी कालोनी, 54. कृष्णानगर, 55. अवतारनगर क्षेत्र, 56. आशाराम बाबू आश्रम कालोनी, 57. प्रभाकरनगर कालोनी के अलावा.
थाना केन्ट तह. व जिला सागर.	ग्राम पंचायत सेमराबाग	58 ग्राम पंचायत सेमराबाग का सम्पूर्ण क्षेत्र.
थाना बहेरिया		59. थाना बहेरिया का क्षेत्र मकरोनिया रेल्वे स्टेशन के फाटक के इस ओर आने वाले हिस्सा दीनदयाल नगर आदि.

ई. रमेश कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, सागर.

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 मार्च 2012

आदेश क्र. 14-2012-क्र. बफ-नवम-उस-2012.—मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25, सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (3-क) सहपठित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4515-3459-16 ए, दिनांक 9 सितम्बर 1983 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं बी. एल. गौतम, सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन महिदपुर, जिला उज्जैन में निम्नानुसार स्तंभ क्रमांक 01 में उल्लेखित क्षेत्रों की दुकानें एवं वाणिज्य स्थापनाओं के लिये स्तम्भ क्रमांक 02 में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश का दिन एतद्द्वारा घोषित करता हूँ तथा यह निर्देशित करता हूँ कि यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा.

महिदपुर का स्थानीय क्षेत्र स्तम्भ क्रमांक 01 (1)	साप्ताहिक अवकाश का दिन स्तम्भ क्रमांक 02 (2)
पुराने थाने से कोर्ट परिसर होते हुए बस स्टेण्ड तक पेट्रोल पम्प से होते हुए नगरपालिका तक एवं औद्योगिक क्षेत्र संपूर्ण	शुक्रवार

बी. एल. गौतम, सहायक श्रमायुक्त.

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्रमांक 1-2-नवम (1)86-11895-98.—मैं, विनोदकुमार, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-16, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958), की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूँ :—

क्रमांक	निरीक्षक का नाम	अधिकार क्षेत्र
1	श्री सुरेन्द्रनाथ शर्मा	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थान के लिये जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.

विनोद कुमार, श्रमायुक्त.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-111.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	नलखेड़ा	गुर्जर खेड़ी	9.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	9.17		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-112.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	देवपुर	6.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	6.51		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-113.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	नलखेड़ा	लटूरी गेहलोत	7.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	7.35		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 114-भू-अर्जन-2012-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	सिरपोई	1.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	1.02		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 115-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी

गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	धारुखेड़ी	0.53	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	0.53		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 116-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	नलखेड़ा	धंदेडा	2.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	2.23		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	नलखेड़ा	गरेली	3.22	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	3.22		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 118-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	अंतरालिया	2.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर (म. प्र.)	पिलियाखाल नहर निर्माण के अन्तर्गत डूब में आने वाली भूमि बाबत्.
		योग . .	2.97		

नोट—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर-नलखेड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोटेगांव, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 2-अ-82 वर्ष 2011-12-पत्र क्रमांक-751-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	बम्हनी नं. बं. 365 प.ह.नं. 35 (ख)/91	0.157	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	बम्हनी जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82 वर्ष 2011-12-पत्र क्रमांक-746-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	पिपरसरा प.ह.नं. 40/61 नं. बं. 333	0.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	कुंडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गोटेगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 03-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	भभुआ	12.126	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर.	उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका चैन 115.5 से 215 तक (7.506 हे.) भभुआ माईनर क्रमांक 1 चैन 0 से 50 (4.620 हे.) हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता—उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका (चैन 115.5 से 215) तक एवं भभुआ माईनर क्रमांक 1 (0 से 50 तक) नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	डुमरा	3.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर.	उर्मिल परियोजना अन्तर्गत डिगोनी वितरिका की उपशाखा डुमरा माइनर क्र.-3 (चैन क्र. 0 से 24) 1.800 हे. एवं रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर क्रमांक 4 (चैन 0 से 24) 1.600 हे. तक भू-अर्जन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता—उर्मिल परियोजना अन्तर्गत डिगोनी वितरिका की उपशाखा डुमरा माइनर क्र.-3 एवं रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर नं. 4 निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	देवकलिया	3.650	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर.	उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर नहर क्र.-3 (चैन 0 से 30) 2.275 हे. एवं देवकलिया माइनर नम्बर 4 (चैन 0 से 24) 0.375 हे. के भू-अर्जन बावत्.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता—उर्मिल परियोजना अन्तर्गत रानीपुर वितरिका की उपशाखा देवकलिया माइनर क्र.-3 (चैन 0 से 30) एवं देवकलिया माइनर क्रमांक 4 (चैन 0 से 24) हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 3000-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	ग्राम नरसिंगा, पीरझलार.	0.71	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	ग्राम नरसिंगा, पीरझलार, बड़नगर मार्ग चम्बल नदी पर निर्माणाधीन जल मग्नीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु अशासकीय भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 576-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	कटझिरा	5.440	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	करेलीनाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 820-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिड़वा	निजी भूमि 1.388 है. शासकीय भूमि शून्य.	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 822-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	किटवरिया	निजी भूमि 0.050 है. शासकीय भूमि शून्य.	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 824-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	दुवारी	निजी भूमि 0.595 है. शासकीय भूमि शून्य.	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 826-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अमरैया	निजी भूमि 0.307	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 828-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	करहिया	निजी भूमि 0.787 शासकीय रोड 0.020 कुल योग . . 0.807	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र.-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के निर्माण के अन्तर्गत मैदानी माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, चिरहुला कालोनी, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 830-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	उमरी 39	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली सिरमौर वितरक नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 836-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	राजगढ़	0.200	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के दुलहरा माइनर आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 838-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	हर्दी 633	0.755	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, जिला रीवा (म.प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माइनर एवं सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 840-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	रंगोली मुडवार	निजी भूमि	2.5566	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के नौबस्ता वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
			शास. भूमि	0.0800		
			योग . .	2.6366		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 856-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	चोरमारी	6.350	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 858-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	कोल्हाडी	5.650	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 860-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	सिजहटा	6.650	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 869-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	बगहाई	11.850	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 864-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	खारी	0.960	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 865-प्रशा.-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी

राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	महुरछ कंदैला.	0.950	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्र. 867-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17) की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बैकुन्ठपुर 408	0.498	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब माइनर की 0.498 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 869-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पाली कोठार 300	0.108	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब-माइनर की 0.108 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 871-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	तिलखन 226	0.466	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब-माइनर की 0.466 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 873-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता

है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	रिमारी कोठार	0.898	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब-माइनर की 0.898 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 875-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पाली अमरीश सिंह 301	0.207	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब-माइनर की 0.207 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 877-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	फरहद कोठार 328	0.044	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.044 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 879-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पुरवा कोठार 317	0.161	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.161 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 881-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पथरी पवाई	0.143	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.143 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 883-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हिनौता पं. भगवानराम 584	0.074	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सबमाइनर की 0.074 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 885-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डेल्ही कोठार-215	0.114	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर की 0.114 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 887-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	फरहद जागीर	0.063	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब माइनर की 0.063 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 889-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता

है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17) की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	नकटा पवाई	0.133	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की रिमारी माइनर एवं सब-माइनर की 0.133 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 891-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17) की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सौर कोठार-569	0.022	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब-माइनर की 0.022 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 893-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जिच भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन संशोधन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17) की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	हटवा कोठार 572	0.191	कार्यपालन यंत्री,क्योटी नहर संभाग रीवा (म. प्र.)	सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब-माइनर की 0.191 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्र. 924-भू-अर्जन-रीवा-2102-85.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है की उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा (17) की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्योहारी	जगमल	0.4047	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर राकफिल बांध संभाग देवलोंद जिला-शहडोल (म. प्र.).	दांयी तट नहर निर्माण बावत.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. प्र.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	धुलतरा	18	2.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	देवरी विकासखंड के अंतर्गत सतधारा जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक सतधारा जलाश योजना में नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 4669-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहर में प्रभावित भूमि :					
राजगढ़	राजगढ़	बांसखो	0.354	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बांसखो तालाब में नहर एवं वेस्टवियर में शेष अर्जित भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	किला	0.480		
राजगढ़	राजगढ़	शोभापुरा	0.741		
राजगढ़	राजगढ़	बावड़ीपुरा	0.185		
		योग . .	1.760		
वेस्टवियर में शेष प्रभावित भूमि :					
राजगढ़	राजगढ़	बांसखों	0.400		
		योग . .	0.400		
		कुल योग . .	2.160		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 357-भू-अर्जन-हातोद-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	हातोद	मोहम्मदपुर	0.050	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 2, इन्दौर.	मोहम्मदपुर उर्फ लोण्डिया एवं सिंगावदा मार्ग निर्माण हेतु.
		उर्फ	0.187		
		लोण्डिया	0.141		
		सिंगावदा	0.303		

अर्जन से प्रभावित खसरा नम्बरों का विवरण

31/1, 31/2, 31/3 एवं 16 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील हातोद, जिला इन्दौर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 3-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	चौका	0.168	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व छतरपुर.	मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मगरार तालाब की नहर में अर्जित भूमि का पूरक प्रस्ताव का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, छतरपुर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	छिरावल	0.744	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व छतरपुर.	मगरार तालाब की स्पिल चैनल में अर्जित भूमि का प्रस्ताव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.—मगरार तालाब की स्पिल चैनल में अर्जित भूमि का प्रस्ताव का भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, छतरपुर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 7461-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	कापसी	154.842	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार.	उरीबाग मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने से.
		बड़ग्यार	40.402		
		कुण्डारा	287.766		
		रामपुरा	66.744		
		बिरलाई	77.528		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 7562-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	करणपुरा	0.265	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार.	आसराकुण्ड तालाब के नहर निर्माण में प्रभावित होने से.
		रूपाखेडा	1.108		
		झरखेडा	1.276		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 2-अ-82-08-09-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ख. नं. क्षेत्रफल		
भोपाल	हुजूर	नरेलाशंकरी	155, 154/10/1 0.0225 = 2420 वर्गफीट.	कार्यपालन यंत्री नया (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल.	132 के.वी. एवं 220 के वी.एच.टी. लाइन की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अतिरिक्त टावर लगाने के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर भू-अर्जन के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, गोविन्दपुरा वृत्त, पुराना आर.टी.ओ. कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 24 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	ख. न.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	बेगमगंज	इटैया	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/2	2.807	0.150	कार्यपालन अधिकारी जल संसाधन विभाग रायसेन.	कीरतपुर नहर निर्माण
			39, 40, 41/1	1.214	0.420		
			38/1	0.081	0.030		
			39, 40, 41/2	1.214	0.250		
			37/2	0.121	0.050		
			38/2	0.081	0.020		
			39, 40, 41/3/1	2.108	0.080		
			20	2.630	0.240		
			29/1	1.129	0.220		
			30/1	0.506	0.090		
			18/1/1	1.109	0.150		
			18/1/2	1.214	0.120		
			42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1	2.803	0.150		
			168/83	1.012	0.170		
			83/84	2.035	0.050		
			85/1	1.153	0.280		
			88	0.146	0.010		
			89	0.619	0.170		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			113	3.666	0.360		
			114	0.777	0.060		
			178/114	1.942	0.050		
			115/1	0.389	0.020		
			116/1	1.148	0.260		
			111	3.298	0.060		
			116/2/1	1.019	0.120		
			116/2/2	1.506	0.080		
			117	1.003	0.030		
			118/2	1.214	0.050		
			123/2/1/1	0.425	0.080		
			123/1/1	1.306	0.100		
			123/2/2/1	0.242	0.130		
		भैसबाई खुर्द	54/2	0.809	0.110		
			64 /1	1.120	0.020		
			56	2.727	0.170		
			67/2	1.214	0.120		
			65	3.545	0.300		
			66	1.226	0.300		
			53/2	0.405	0.080		
			73	3.634	0.360		
			74	0.308	0.020		
			67/1	2.377	0.040		
			161	2.274	0.300		
			142/2	1.040	0.230		
			142/1	1.044	0.110		
			263/93/2	1.230	0.240		
			170/1	0.619	0.080		
			171/1	1.489	0.270		
			175	1.643	0.080		
			162	2.189	0.220		
			96	0.243	0.020		
			263/93/1	0.986	0.230		
			93/2	3.144	0.130		
			93/1	0.433	0.020		
			95	1.809	0.020		
		सुनेहरा	692	1.598	0.120		
			693	1.531	0.120		
			691/1	0.603	0.070		
			699/3	0.930	0.070		
			699/2/2	0.466	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			699/1	0.929	0.100		
			702	1.404	0.240		
			707/1	1.214	0.030		
			706	2.016	0.180		
			718	2.068	0.180		
				कुल योग	. . 8.730		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेगमगंज में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 2761-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	जुन्नारदेव	ग्राम-बिछुआ जागीर ब. नं. 26 प.ह.नं. 22 रा.नि.मं. दमुआ.	रकबा 04.650 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	कोल्हिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-2012-110.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में भूमि की, अनुसूची के पद (2) दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—नलखेडा
(ग) ग्राम—रूपारेल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.95 हेक्टर.

भूमि सर्वे क्र.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
344	0.95 हेक्ट. ग्राम आबादी भूमि में स्थित परिसम्पत्ति का अर्जन.

नोट.—भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी व भू-अर्जन अधिकारी आगर-बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 21-अ-82-07-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—गोहिन्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
609/2	0.104
619/7	0.230
593 मिन	0.146
योग :	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दोआव नहर के 13-आर शाखा एवं 2-आर उप शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-07-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—बासौड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.273 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
1064	0.273
योग :	0.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दोआव नहर के 13-आर शाखा एवं 2-आर उप शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 23-अ-82-07-08-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक-एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—गौंधारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.600 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टर में)
(1)	(2)
457	0.418
448	0.167
451	0.015
योग :	0.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दोआव नहर के 15-आर शाखा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 अप्रैल 2012

क्र. 815-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—घुघचिहाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.297 हेक्टर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79	0.090
83	0.126
89	0.080
90	0.192
96	0.204
107	0.594
125	0.248
128	0.288
129	0.144
131	0.072
133	0.950
141	0.216
142	0.345
167	0.230
168	0.024
169	0.036
175	0.168
176	0.115
178	0.020
179	0.144
180	0.563
181	0.072
194	0.062
195	0.028
196	0.014

(1)	(2)
197	0.192
214	0.020
215	0.028
904	0.403
908	0.302
योग (अ) 30 किता	5.970
(ब) शासकीय भूमि का विवरण 82	0.325
योग (ब) 1 किता	0.325
महायोग (अ+ब) 31 किता योग	6.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी/भूमि शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 817-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—उसरहा कोठार (रामस्थान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.108 हेक्टर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
291	0.020
297	0.028
298	0.016
299	0.315
301	0.072
301/1298	0.576
302	0.028
304	0.004
305	0.124
306	0.008
307	0.064
310	0.190
330	0.444
331	0.504
333	0.009
338	0.100
341	0.201
342	0.166
343	0.038
346	0.158
योग (अ) 20 किता	3.065

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

1/295	0.043
योग (ब) 1 किता	0.043
महायोग (अ+ब) 21 किता योग	3.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्र. 832-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—बेलवा सु. सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.044 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
397	0.020
451	0.024
मध्यप्रदेश शासन	0
महायोग :	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 834-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—शाहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
223	0.024
240	0.056
303	0.020
मध्यप्रदेश शासन	0
महायोग :	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरक नहर की दुलहरा माइनर के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 अप्रैल 2012

प्र. क्र. 853-प्रशा.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम—देवमऊदलदल कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.222 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3058	0.856
3059	0.475
3116	0.604
3115	0.028
3114	0.073
3110	0.333
3117	0.073
3120	0.458
3121	0.020
3124	0.366
3125	0.034
3133	0.097
3138	0.090
3139	0.358
3140	0.008
3153	0.0495
3152	0.008
3150	0.182
3785	0.117
3181	0.117
3183	0.284
2601	0.012
2600	0.016
3189	0.190
2599	0.178
3190	0.194
3192	0.190

(1)	(2)
3196	0.028
3741	0.069
3195	0.240
3196	0.150
3812	0.117
3204	0.150
3203	0.235
3202	0.016
3380	0.362
3381	0.170
3405	0.162
3406	0.190
3366	0.150
3408	0.049
3409	0.202
3411	0.194
3356	0.073
3355	0.061
3354	0.133
3357	0.028
3353	0.109
3351	0.077
3340	0.089
3342	0.105
3336	0.069
3329	0.093
3330	0.036
3726	0.089
3327	0.507
3322	0.004
3321	0.101
3318	0.113
1198	0.073
1197	0.125
1202	0.194
1204	0.044
1206	0.004
1163	0.024
3826	0.109
1165	0.069
1164	0.093
1166	0.069
1146	0.004
1105	0.221
1106	0.020
1103	0.333
1042	0.033
1046	0.024
1045	0.150
1058	0.202
1059	0.008
1060	0.077
1065	0.073
1067	0.004
1064	0.004
1066	0.028
524	0.024
523	0.033
522	0.036
521	0.028
527	0.036
529	0.012
3144	0.033
3147	0.004
3378	0.004
कुल रकबा :	12.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत देवमऊदलदल माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम देवमऊदलदल तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 854-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) ग्राम—डेंगरहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.019 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
197	0.078
198	0.111
200	0.006
203	0.004
201	0.054
202	0.108
222	0.112
223	0.042
224	0.262
225	0.018
220	0.008
227	0.102
919	0.088
920	0.008
805	0.074
804	0.008
952	0.027
803	0.210
802	0.018
801	0.134
800	0.015
282	0.142
283	0.018
284	0.160
286	0.110
287	0.105
278	0.027
295	0.048
294	0.130
301	0.110
318	0.195
317	0.015
316	0.089
330	0.084
331	0.048
951	0.116
349	0.019
332	0.116
कुल रकबा :	3.019

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम डेंगरहट तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 216-2010-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 23-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—मूंदी

(घ) कुल अर्जित रकबा—0.504 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
9/1	0.504

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पावर पारेषण सुधार योजना के अन्तर्गत 132 के. व्ही. उपकेन्द्र विस्तार निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, (सिविल) म. प्र. पा. ट्रा. कं. लि. जीपीएच पोलो ग्राउण्ड इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. 10-अ-82-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—घुवारा

(ग) नगर/ग्राम—भेल्दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.720 हेक्यर.

(1) निजी भूमि—0.720 हेक्टर.

(2) शास. भूमि—निरंक

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
354	0.060
358/1/2	0.140
358/2	0.050
358/4	0.060
358/7	0.050
358/8	0.060
358/9	0.110
358/15	0.050
684/1	0.140
योग . .	0.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—अगरोठा तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 अप्रैल 2012

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-264.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बिजौरी रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.83 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.96
5	0.30
8	0.28
6	0.48
7	0.29
16	1.32
19/2	0.40
18	0.76
19/1	1.20
20	0.52
21	4.32
24	1.30
25	1.06
26	0.47
27	0.05
28	0.79
29	0.29
30	1.45
31	0.12
32	0.16
33	0.22
41	0.09
योग . .	16.83
शासकीय भूमि 17,22,23,42	3.39
योग . .	3.39
महायोग . .	20.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12 265.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—ढोढा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—171.94 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.20
201	0.49
256	0.79
458	0.68
21	0.57
22	0.27
23	0.20
246	0.12
24	0.71
172	0.07
289	0.32
26	0.21
27	1.06
28	0.02
244	2.41
29	0.73
257	0.40
94/1	1.40
95	0.83
96	0.31
385	1.73
122	0.09
125	0.20
123	0.11
124	0.46
126	0.20

(1)	(2)
128	0.25
147	0.11
150	0.26
129	0.11
134	0.04
151	0.97
153	0.14
130	0.01
149	0.60
131	0.49
151	0.65
139	0.22
142/2	0.39
157	0.84
143	0.23
144	0.46
146/2	0.38
436	2.20
448	0.65
248/6	0.51
148	0.68
152	0.10
154	0.26
155	0.46
159	0.39
161/2	0.40
156	0.60
158	0.26
160	1.22
416	0.90
446	0.95
163	0.80
164	0.70
165	0.44
166	0.19
258	0.29
173	0.57
179	1.09
180	1.09
181	0.97
405	0.36

(1)	(2)	(1)	(2)
491	0.19	354	1.06
182	1.10	355/1	0.37
442	1.52	355/2	0.37
183	0.51	355/3	0.35
443	1.35	355/4	0.36
191	0.46	355/5	0.36
198	0.19	356	0.85
200	0.20	367	3.02
205/2	0.12	358/2	0.77
207	0.08	359	0.79
230	0.17	365	0.79
231	0.20	360/1	9.36
482	0.40	360/2	0.35
483	0.68	361/1	0.29
232	0.53	361/2	0.30
233	0.30	361/3	0.30
235	0.56	362	1.25
237/1	2.79	363	1.27
238	1.59	413	3.99
237/2	0.28	364	3.78
239	1.45	366	0.33
240	1.97	373	0.41
245	0.76	370	2.32
247	0.84	374	0.39
248/1	0.55	381/1	0.10
248/2	0.51	382/1	0.35
248/3	0.51	375/1	0.03
248/5	0.51	371	0.01
250	0.24	392	4.67
358/1	0.90	397	0.28
248/4	0.51	407	0.97
252	0.75	410	0.30
254	0.76	393	0.85
255/1	0.36	394	1.70
255/2	0.26	396	2.19
255/6	0.08	459	0.67
411	3.34	395	0.67
259	0.03	404/1	0.14
287/1	0.23	406	0.75
288/1	0.07	408	0.69
353	0.02	414	2.25

(1)	(2)
415	2.50
418	1.02
419/1	0.07
419/2	0.40
419/3	0.40
420	1.91
202/1	1.20
421	1.62
422	1.70
423	0.80
425	0.44
424	1.37
426/1	0.25
178/1	1.67
426/2	0.25
178/2	2.01
178/3	1.67
426/3	0.25
427	0.80
429	1.20
478	0.28
430	0.41
439	0.41
431	0.40
432	0.42
475	0.33
433	0.06
438	0.41
434	1.88
435	0.76
468	0.20
437	0.85
476	0.78
469	0.92
440	0.23
461	1.89
463	0.60
466	0.60
479	0.30
445	0.40
456	0.06

(1)	(2)
480	0.72
481	2.22
470/3	0.55
484	0.30
488	0.02
493	0.64
162/1	1.10
162/2	1.07
202/2	0.40
428/1	0.81
428/2	0.81
470/2	1.09
497/2	6.68
470/4	0.36
496/2	0.16
497/10	0.36
497/6	0.18
470/5	0.36
472/4	0.73
473	0.13
496/3	0.31
497/5	0.11
497/8	0.36
472/5	0.78
496/1	0.16
497/4	0.21
497/9	0.37
497/1	0.16
497/3	0.20
497/7	0.33
205/1	0.12
205/3	0.21
375/2	0.02
381/2	0.10
382/2	0.35
382/3	0.35
382/4	0.36
404/2	0.14
404/3	0.14
योग . .	171.94

(1)	(2)
शासकीय भूमि	
234, 387, 465, 467, 494, 132, 192, 241, 357, 400, 489, 444, 243, 174/1, 441, 25, 31, 97, 127, 133, 177, 203, 242, 2499, 253, 260,, 290, 383, 386, 409, 447, 457, 460, 462, 498, 236	42.69
कुल योग . .	214.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-266.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—करौंदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.14 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
180/4	0.17
180/1	0.17
180/2	0.18
180/3	0.18
182	0.78
181	0.65
195	0.01
योग . .	2.14
शासकीय भूमि	
183,214	2.723
योग . .	4.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-267.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—मोरचा माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.02 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
84	0.02
योग . .	0.02
शासकीय भूमि	
90, 91, 147	0.602
योग . .	0.622

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-268.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—मोरचा रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.05 हैक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
256	0.24
259	0.07
262	0.67
263	0.05
264	2.26
265	0.10
266	0.37
267	0.66
261	1.63
कुल योग . .	6.05
शासकीय भूमि	
255, 260, 268	1.14
कुल योग . .	7.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12-269.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—बिलगढ़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—207.60 हैक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
2	0.01
18	0.87
3	0.08
62	0.14
6	0.56
8	1.77
84	0.32
86	2.44
170	1.58
9	0.05
69	0.22
228	0.19
100	0.06
10	1.43
13	1.65
104	0.87
116	2.00
117	3.42
119	0.48
14	1.65
63	0.16
64	1.40
70	0.24
78	0.75
85	0.39
94	1.17
101	0.42
132	3.98
148	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
151	0.12	43	0.07
152	0.09	44	1.52
166	0.43	55	1.63
171	0.36	96	1.97
179	0.01	145	0.93
203	0.05	115	0.58
15	0.46	146	0.02
16	0.46	153	0.02
29/3	0.30	45	0.37
17	0.60	46	0.36
75	0.24	47/1	3.00
102	0.07	111	0.53
105	0.33	177	0.26
19	0.04	47/2	0.40
20	0.02	71	0.81
21	0.04	77	0.74
23	0.44	50	1.58
24	4.49	51	1.09
25	1.02	108	3.28
26	0.52	52	0.77
28	4.05	53	0.78
27	1.27	54	0.65
81	0.27	59	0.46
122	0.02	60	1.42
137	0.46	61	0.67
176	0.19	65	1.13
201	0.03	67	0.67
31	1.09	68	0.15
33	0.34	79/3	0.40
34/1	0.62	87	0.48
38/1	2.00	150	0.47
42/1	1.01	205	0.15
34/2	0.61	206	0.04
36	1.60	209	0.01
38/2	1.00	210	0.01
42/2	1.02	72	0.35
35	1.97	248/1	10.38
37	2.61	273	0.18
123	2.25	275	1.19
180	0.21	73/1	0.64
39	3.93	73/2	0.65

(1)	(2)
74	1.08
254	1.40
255	1.40
76	2.77
79/1	2.86
79/2	1.60
80	1.08
89/1	0.48
106/3	0.34
89/2	0.68
125/2	2.51
90	0.40
126/2	0.60
317/3	1.20
93	0.15
95	0.94
98	1.79
99	0.40
109	2.80
267	0.28
270	1.98
271	0.49
97	1.79
103	0.42
112	0.34
113	0.34
130	1.10
114/3	0.28
118	1.41
258	1.22
259	4.09
269	0.06
121	0.48
126/1	0.59
317/1	0.81
124	0.15
128	0.85
336	0.36
125/1	0.40
317/2	0.24
127	3.67

(1)	(2)
142	0.49
252	1.24
131	0.22
134	1.41
141	1.41
136	0.76
139	0.91
144	0.05
215	0.37
138	2.71
249	0.94
140	0.84
202	4.31
324	1.54
219	0.53
147	0.03
178	0.12
204	0.03
220	0.21
225	0.54
246	0.58
282	0.34
149	2.40
207	3.61
214	0.83
217	0.91
211	0.01
221	0.09
213	0.36
216	0.25
261	0.04
226	0.29
227	0.16
229	0.18
230	0.01
231	0.01
247	0.05
268	0.21
280	0.42
323/1	2.83
327	0.54
332	1.23
248/2	0.40
278	0.43

(1)	(2)
248/3	1.00
251	0.08
256	1.56
257	0.60
262	1.89
263	0.29
334	0.04
264/1	0.73
264/2	0.73
279	0.15
281	0.43
284	0.09
288	0.05
290	0.27
289	0.01
315	0.83
316	0.37
318	0.28
320	0.24
323/2	0.40
325	2.30
328	0.72
329	0.78
330	0.06
335/1	1.91
335/2	2.95
339	0.88
317	0.46
योग . .	207.60
12, 22, 30, 40, 49, 57, 58, 110, 135, 158, 218, 253, 260, 265, 266, 276, 304, 314, 331, 333, 338, 92, 107, 133, 169, 175, 185, 272, 287, 340, 7, 11, 41, 48, 66, 83, 88, 106/2, 114/1, 120, 200, 208, 212, 224, 245, 311, 321, 322, 326, 337, 59/2, 56, 143, 91, 274, 277	27.82
योग . .	235.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82) 2011-12 270.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—कटहरा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—61.96 हैक्टर.

खसरा नम्बर (1)	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
17/2	1.29
6	0.46
32	1.31
16	0.80
146	0.32
22	1.88
19	1.86
165	1.49
21	1.31
23	0.60
24	0.04
25	0.60
33	1.71
35	2.09
38	0.64
268	0.03
106	0.26
108	0.25
36	0.10
114	1.84
117	2.24
120	1.12
118	0.65

(1)	(2)
119	1.17
121	0.53
271	0.74
115	0.64
116	0.87
122	0.65
123	0.65
124	1.46
125	2.54
128	0.24
126	1.03
129	3.24
130	0.74
131	0.88
132	2.60
133	0.74
274	2.19
137	0.28
138	0.71
139	0.24
140	0.33
142	0.02
143	0.18
144	0.28
145/1	0.20
145/2	0.40
145/3	0.20
145/4	0.23
147	0.33
149	0.37
148	1.46
156/2	0.10
157	0.15
150	0.76
151	0.33
154	0.89
153	0.45
275	1.12
155	0.46
156/1	0.76
157	0.09
160/1	0.60
163/2	0.02
158	0.35
160/2	0.84
161/2	0.06
164/1	0.51
167/1	0.24
162	1.89
163/1	0.34
164/2	0.08
167/2	0.31
169	0.02
170	0.22
267	0.42
272	0.80
276	1.01
266	0.11
18, 30, 31, 37, 107, 113, 127, 134, 136, 166, 20, 273	17.72
योग . .	79.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—बिलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.52 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
688	0.17
698/1	0.65
698/2	0.25
711	0.09
699	0.30
701	0.61
702	0.96
706/2	0.56
708	0.04
721	0.26
725/2	0.91
709	0.04
710	0.69
720	0.84
714	0.02
715	0.07
716	0.19
717	1.13
726	1.65
719/1	2.68
719/2	0.60
722	0.58
723	0.48
724/1	0.26
724/2	0.08
725/1	0.30
728	1.50
729/1	2.88
729/2	1.37
730	0.36
	25.52
603, 700, 705, 707, 622, 691, 689, 718, 727, 731	3.78
योग . .	29.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-51-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—पलकी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—98.59 हेक्टर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
222/2	0.07
340	0.67
331/2	0.34
223	0.40
239	0.22
240	0.46
461	0.38
281	0.31
367	1.05

(1)	(2)	(1)	(2)
379	0.31	333/1	0.28
283	0.16	332/1	0.51
318	1.58	537	0.34
319	0.22	467	0.01
350	0.88	553	0.25
353	0.53	332/2	0.51
386	0.23	335	1.63
284	0.16	468	0.04
351	0.40	538	0.36
285	0.13	552	0.44
398	0.47	334	0.50
287	0.56	463	0.55
288	1.11	331/1	0.71
465	0.45	336	0.20
289	1.94	337	1.64
290	0.71	381	0.74
441	0.18	427	0.31
291	1.49	388	0.83
292	0.55	342	0.40
330/2	0.08	360	0.75
333/2	0.42	396	0.01
311	0.38	352	0.44
313	0.42	357/1	0.73
314	1.01	357/2	0.04
341	0.53	544	0.16
317	0.53	359	3.98
428	0.95	370	1.15
430	0.54	529	2.12
518	0.49	361	0.33
416	0.22	362	0.36
320	0.83	364	0.35
545	0.14	365	0.32
321	0.45	383/2	0.54
473/1	0.22	409/2	0.30
324	0.50	368	0.65
495	0.04	527	1.28
327	0.22	555	0.86
328	0.44	366	0.46
363	0.34	374	0.29
376	0.25	533	0.78
330/1	0.34	536	0.55

(1)	(2)
542	1.04
543	0.81
369	0.80
373	0.80
329	0.24
372	0.55
496	0.20
377	0.80
413	0.29
378	0.03
414	0.20
379	0.71
491	0.48
499	1.77
513	0.31
380	0.27
424	0.43
385	0.84
387	1.23
541	0.17
434	0.22
388	1.89
435	0.15
442	0.26
390/1	0.20
415	0.15
391	0.19
393	0.86
449	0.15
392	0.74
394	2.64
399	0.61
400	0.70
404	0.49
547	1.76
406	0.55
419	0.23
411	0.43
464	0.27
412	4.30
422	0.34
417	0.09
421	0.25
425	0.69
431	0.24
436	0.52
438	0.16
517	0.08
439	0.26
440	0.13
444/2	0.01
448	0.13
456	0.04
457	0.05
458	0.72
494	0.07
497	0.20
549	0.42
498	0.17
511	0.72
516	0.09
521	0.40
522	0.22
525	0.45
526	0.30
523	0.13
524	0.13
539	0.48
551	0.50
546	1.11
550	1.32
473/2	0.04
योग . .	98.59
293, 305, 316, 395 224, 225, 243, 339, 349, 355, 358, 405, 410, 429, 462, 530, 531, 540, 554, 221, 286, 315, 322, 433, 514, 325, 528, 534, 535, 397, 505, 509, 510, 512, 407, 408, 326, 418, 420, 426, 443, 445, 446, 447, 515, 519, 520	22.15
योग . .	22.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 7530-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—गंधवानी

(ग) ग्राम—होलीबयड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.782 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.483
20	0.460
21	0.783
24/2	0.157
28/3	0.019
28/4	0.027
69	1.797
71	0.081
73	0.484
78/2	0.097
80	0.030
106	0.470
109	0.773
110	0.543
111	1.578
योग :	7.782

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 7535-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—गंधवानी

(ग) ग्राम—इंदला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.779 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
253	0.990
240	3.052
239	0.258
238	1.800
176	0.679
योग :	6.779

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्र. 2757-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—अंवरिया प. ह. नं. 49, ब. नं. 02 रा. नि. मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —03.082 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53,54	0.234
50/7, 51/7 52/7, 52/8, 59/7, 60/7, 61/7	0.046
50/6-8, 51/6-8, 52/6-9, 59/6-8, 60/6-8, 61/6-8, 62/10	0.081
50/2, 51/2, 52/2, 56/2, 56/6, 58/2, 59/2, 60/2, 61/2, 62/4	0.309
50/4, 51/4, 52/4, 56/8, 58/4, 59/4, 60/4, 61/4, 62/9	0.036
253/8, 253/9, 253/10, 253/11	0.018
246/1	0.166
247/4, 248/4	0.060
189/9, 190/9, 191/6	0.021
247/3, 248/3	0.060
179/11, 179/20, 183/5, 185/5, 186/5, 187/5, 251/7, 251/8, 276/5, 277/5	0.090
179/12, 179/21, 183/6, 185/6, 186/6, 187/6, 251/9-10, 275/6, 277/6	0.126
179/14, 179/23, 183/8, 184/8, 185/8, 186/8, 187/8,251/13-14, 275/8, 276/8 277/8	0.045
179/13, 179/22, 183/7, 185/7, 186/7, 187/7, 251/11, 275/7, 276/7, 277/7	0.036
179/24-25, 183/9 184/9, 185/9, 186/9, 187/9, 251/18-19, 275/9 276/9, 277/9	0.009
179/26-27, 183/10, 184/10, 185/10, 186/10, 187/10, 251/20-21, 275/10, 276/10, 277/10	0.036
284/13	0.108
157, 158, 159, 161, 162, 163	0.128
156/8	0.044
153/2, 156/3	0.044
153/4, 156/10	0.068
153/3, 156/9	0.012
151/3-4, 152/1, 154/2, 155/1, 156/1	0.032
197/3	0.002
153/1, 156/2	0.128
151/1, 151/2	0.169
151/6-7	0.051
209/2	0.009
136/2	0.064
197/2	0.005
136/1	0.086
62/5	0.148
39/2, 39/3, 39/4, 39/5	0.048
37, 38	0.010
36	0.012

(1)	(2)
33/3, 35/3, 43/5, 44/2	0.108
33/6, 35/6, 43/8, 44/5	0.054
27/1-3	0.060
4/2, 6/1, 26/1	0.019
191/1, 242/1, 243/1, 244/1	0.072
191/14, 242/5, 243/5, 244/5	0.036
189/6, 190/6, 191/7	0.039
193, 194	0.010
195	0.004
196/1	0.001
196/2	0.003
196/3	0.001
196/4	0.001
197/1	0.005
198	0.005
199	0.005
200	0.007
201	0.009
204/1, 205/1	0.008
203	0.010
204/2, 205/2	0.008
206/2	0.007
207	0.007
208/1	0.006
208/2	0.003
208/3	0.003
209/1	0.009
210/1	0.003
210/2	0.003
210/3	0.003
211/1, 212/1, 213/3	0.024
213/1, 213/2	0.008
योग :	03.082

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2758-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—फुटेरा, प. ह. नं. 29, ब. नं. 182 रा. नि. मंडल-चौंरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —01.232 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
213/11	0.027
206/2, 207/2, 208/2, 209/2, 210/2, 211/2 212/2	0.059
214/2, 215/2, 216/2, 217/2, 218/2, 220/2	0.088
214/4, 215/4, 216/4, 217/4, 218/4, 220/4	0.039
214/5, 215/5, 216/5, 217/5, 218/5, 220/5	0.053
232/3	0.039

(1)	(2)
198/1, 199/1, 200/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 231/1, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1	0.114
198/2, 199/2, 200/2, 227/2, 228/3, 229/2, 230/2, 231/3, 232/3, 233/3, 234/2, 235/2	0.057
157/1, 195/1, 197/1	0.019
111/5, 111/6, 134/2, 135/2	0.024
155, 156/4, 156/3	0.026
154/1, 154/2	0.120
154/4, 169/7, 169/8	0.115
156/2, 156/3	0.018
129/1, 131, 132/2	0.072
110, 132/1	0.043
133, 135/3, 152, 153	0.036
111/2, 111/3, 111/4, 134/1, 136	0.012
106/2	0.079
107/1, 107/2	0.015
80/2	0.005
80/1, 80/4, 80/5, 81/1	0.086
80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 82/15, 83	0.086
योग :	01.232

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2759-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चांद
(ग) नगर/ग्राम—हिर्री, प. ह. नं. 50, ब. नं. 312
रा. नि. मंडल-चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —01.735 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
113/1	0.224
114/1	0.064
115/2	0.048
120/1, 2	0.217
177/1	0.048
179/1	0.065
174/1	0.057
274/1	0.144
274/2	0.084
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/3	0.112
163/2, 165, 166	0.080
163/1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174/2	0.060
196/1	0.132

(1)	(2)
196/2	0.096
200/1, 201/1, 202/1	0.048
206/4	0.021
206/1	0.018
32/3, 32/6, 34/1, 34/2	0.127
30	0.018
177/2, 179/2	0.072
योग :	01.735

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सीताझिर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2760-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—नदौरा, प. ह. नं. 24/39, ब. नं. 144
रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —02.075 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में) (2)
77/3, 83/3-4	0.015
87/2, 88/1	0.330
88/2, 90	0.090
58/2	0.135
58/4	0.075
59	0.045
58/1	0.125
58/3	0.125
36/4	0.020
36/5	0.065
26/1, 27/2, 37/1	0.165
26/2-3, 27/3, 4, 5, 6, 37/2, 3	0.065
38	0.035
39/10	0.045
39/1	0.050
39/13	0.075
39/7	0.045
1	0.360
2/3, 4, 5	0.015
3	0.020
91/10	0.090
91/9	0.045
36/2	0.040
योग :	02.075

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—रीछननाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.